बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L027-Sikariya T02 to Tali पथ निर्माण कार्य संवेदक Ribha Kumari(Regd. No-3190802), Vill-Bara, PO-Bara Koriam, PS-Arwal, Dist-Arwal, Pin-804401 को आवंटित किया गया।

एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 23.07.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 22.07.2021 है।

उक्त पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संवेदक को कई बार स्मारित किये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई, जिसके कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल का सकारण आदेश ज्ञापांक 688 दिनांक 03.08.2022 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए संवेदक को कालीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक 1384 दिनांक 06.09.2022, पत्रांक 9455 दिनांक 02.09.2025 एवं पत्रांक 10882 दिनांक 15.10.2025 द्वारा निबंधित डाक एवं ई–मेल के माध्यम से कारणपृच्छा की गई, परंतु संवेदक द्वारा अबतक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

प्रश्नगत पथ की अद्यतन स्थिति के संबंध में नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एकरारनामा विखंडन के उपरांत पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने हेतु निविदा की गई।

पुनर्निविदा किये जाने के उपरांत उक्त निर्माण कार्य संवेदक नंदनी कन्स0 को आवंटित किया गया। साथ ही उक्त पथ निर्माण कार्य संवेदक द्वारा माह दिसंबर 2024 में भौतिक रूप से पूर्ण किया जा चुका है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा संदर्भित पथ में एकरारनामा में विहित विनिर्देशों के अनुसार ससमय कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। साथ ही संवेदक से कई बार कारणपृच्छा करने के उपरांत भी संवेदक द्वारा अबतक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करना बताता है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक Ribha Kumari(Regd. No-3190802) को कार्य प्रमंडल, अरवल के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L027-Sikariya T02 to Tali पथ निर्माण कार्य ससमय पुर्ण नहीं कराने के संबंधी आरोपों के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के तहत 03(तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

03.12.2025
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–265/2025 12233 /पटना, दिनांकः–04/12/25

प्रतिलिपिः– Ribha Kumari(Regd. No-3190802), Vill-Bara, PO-Bara Koriam, PS-Arwal, Dist-Arwal, Pin-804401, Mo-7985001344 को सूचनार्थ प्रेषित।

03.12.2025
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

ज्ञापांकः— 14/अ0प्र0—14—265/2025 12233 /पटना, दिनांकः— 04/12/25

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.12.2025

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 14/अ0प्र0—14—265/2025 12233 /पटना, दिनांकः— 04/12/25

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.12.2025

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 14/अ0प्र0—14—265/2025 12233 /पटना, दिनांकः— 04/12/25

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.12.2025

अभियंता प्रमुख